कार्यालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी

तहसील हुजूर भोपाल, मध्यप्रदेश

पंजीयन प्रमाण पत्र

प्रकरण क्रमांक प्रकरण क्र0-2/बी-113/95-96

प्रार्थना पत्र मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट सन् 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत ट्रस्ट पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) हेतु प्राप्त होने पर विधान की धारा 5 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु एक माह का सूचना पत्र जारी किया गया, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर 1994 भाग-3(1) पृष्ठ क्र0-1215 में प्रकाशित किया गया है, किन्तु नियत अवधि में किसी की आपत्ति प्रस्तुत नही हुई।

अतः मैं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल मध्यप्रदेश भाऊराव देवरस सेवा न्यास, भोपाल ट्रस्ट को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत घोषित करता हूँ। इसका पंजीयन ट्रस्ट पंजी मे क्रमांक 10 पर दर्ज किया गया है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 1 सितम्बर, 1998 को न्यायालय की मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

दिनांक 01-9-1998

रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट,
पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल
भोपाल

सचिव
भाऊराव देवरस सेवा न्यास मध्यप्र

50 Rs.

भाऊ राव देवरस सेवा न्यास का न्यास-पत्र

स्व॰ श्री भाऊ राव देवरस जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की सेवा में अर्पित करते हुए हम सब लोगों के लिए जीवन का श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्तुत किया । उनके तपःपूत जीवन से समाज के सद्भावी लोगों को निरन्तर प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी ।

श्रद्धेय भाऊ राव चाहते थे कि साधारण जनों, विशेषतः वनवासी, गिरिवासी जनजातियों एवं सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अविकसित वर्ग के लोगों को समुचित शिक्षा एवं संस्कार देते हुए उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठा कर उन्हें राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु प्रयास किये जायें । स्वर्गीय भाऊ राव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रभावित अनेक बन्धुओं की आकांक्षा है कि स्व॰ भाऊ राव की इन हृद्गत भावनाओं को साकार करने के लिए हम सबको एक प्रभावी योजना बना कर कुछ कार्य करना चाहिए । यही विचार इस न्यास के निर्माण की पृष्ठभूमि है ।

श्रावण कृष्णा दशमी संवत 2049 शनिवार दिनांक 25 जुलाई 1992 को 100/22, शिवाजी नगर, भोपाल में एतदर्थ आयोजित बैठक में इस विषय पर सम्यक् विचार हो कर " भाऊ रावदेवरस सेवा न्यास " का निर्माण हुआ और तदनुसार इस न्यास की विधिवत् घोषणा की जा चुकी है ।

इस न्यास के निम्न लिखित तीन संस्थापक न्यासी घोषित किये जा चुके हैं :

1. सरदार श्री गुरमुख सिंघ आत्मज स्व॰ श्री चरन सिंघ, अभियन्ता, आयु वर्ष 65, निवासी 15, अशोक उद्यान, रायसेन मार्ग, भोपाल, 462021

....

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

५०रु. FIFTY RUPEES 50RS

2· श्री गिरधारी लाल अग्रवाल आत्मज श्री गोवर्धन लाल अग्रवाल, वस्त्र विक्रेता, वय वर्ष 61, निवासी 58, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, 462011

3· श्री विद्याधर बळवन्त सरदेसाई उपाख्य बापू राव सरदेसाई आत्मज स्व॰ श्री बळवन्त कृष्ण सरदेसाई, सामाजिक कार्यकर्ता, वय वर्ष 73, निवासी 130/22, शिवाजी नगर, भोपाल, 462016

न्यास का विवरण

1· नाम

इस न्यास का नाम " भाऊ राव देवरस सेवा न्यास " है ।

2· कार्यक्षेत्र

इस न्यास का कार्यक्षेत्र समग्र मध्य प्रदेश रहेगा ।

3· कार्यालय

इस न्यास का पंजीयित कार्यालय 58, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन दो, भोपाल, 462 011 में स्थित होगा ।

4· न्यास के उद्देश्य

4·1 मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण, वन्य तथा पहाड़ी अंचलों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों एवं नगरीय झुग्गी-झोपड़ियों आदि के निवासी तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पीड़ित शोषित वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं संस्कार केन्द्रों के माध्यम से विविध सेवा प्रकल्पों की योजना बना कर उन्हें संचालित करना ।

4·2 उक्त क्षेत्रों में सेवा एवं समर्पण भाव से कार्य करने हेतु जन

गुरमुख सिंह
अध्यक्ष
भाऊराव देवरस सेवा न्यास.

प्रेरित करना एवं इस प्रकार कार्य करने हेतु तत्पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण आदि का प्रबन्ध कर उन्हें सभी प्रकार की सहायता देना ।

4·3 वन्य तथा पहाडी अंचलों के निर्धन एवं अशिक्षित निवासियों के सामाजिक तथा आर्थिक शोषण एवं धर्मान्तरण को रोकने के लिए वातावरण बनाना, उपाय करना एवं राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा से उन्हें जोडने के प्रयास करना ।

4·4 उपर्युक्त उपेक्षित क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं के प्रति जन साधारण में चेतना जगाने हेतु आवश्यक साहित्य का निर्माण, प्रचार और प्रसार करना ।

4·5 प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, प्रवचनों, दृश्य-मुद्रिकाओं (व्हीडिओ कैसेट) तथा भाषणमालाओं के माध्यम से समाज के अनुन्नत वर्गों के प्रति जन साधारण में सामाजिक दायित्व बोध जगाना और उनसे इस कार्य हेतु सर्वविध सहयोग तथा सहायता प्राप्त करना ।

4·6 उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे सभी विधिसम्मत कार्य करना जो न्यासियों की दृष्टि से आवश्यक हों ।

5· न्यास का स्वरूप

यह न्यास सार्वजनिक न्यास है ।

G. L. Agarwal
कोषाध्यक्ष
भाऊराव देवरस सेवा न्यास

6· प्रारंभिक सम्पत्ति

इस न्यास की प्रारंभिक सम्पत्ति दान से प्राप्त रु· 11,000/=, सावे ग्यारह हजार मात्र है ।

7· न्यासी मण्डल

7·1 न्यास की घोषणा करने वाले तीन संस्थापक न्यासियों के अतिरिक्त बारह और न्यासी आवश्यकतानुसार नियुक्त किये जा सकेंगे । न्यासियों की अधिकतम संख्या पन्द्रह होगी । न्यास के कार्य-विस्तार के साथ तीन संस्थापक न्यासी क्रमशः अथवा एक साथ शेष न्यासियों की नियुक्ति सर्वसम्मति से कर सकेंगे ।

7·2 ऐसे वयस्क भारतीय नागरिक ही न्यासी बनाये जायेंगे, जिनकी न्यास के उद्देश्यों एवं कार्य में आस्था हो ।

7·3 समस्त न्यासी मिला कर " न्यासी मण्डल " का गठन होगा ।

8· न्यासियों का कार्यकाल

8·1 तीन संस्थापक न्यासियों को, जो आजीवन न्यासी रहेंगे, छोड कर शेष प्रत्येक न्यासी का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष रहेगा ।

8·2 कार्यकाल पूर्ण होने पर संस्थापक न्यासी एवं विद्यमान शेष न्यासी सर्वसम्मति से रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेंगे ।

8·3 निवर्तमान न्यासी भी आगामी पाँच वर्षों के लिए पुनः नियुक्त किये

विश्व. अदेसाई
सचिव

अथवा परिवर्तित कर सकेगा, जो न्यास के उद्देश्यों अथवा इस न्यास-पत्र की भावनाओं एवं व्यवस्थाओं से सुसंगत हों ।

अध्यक्ष

11.09 न्यासी मण्डल को कार्य-व्यवस्था हेतु आवश्यक उपसमितियाँ बनाने तथा बनी उपसमिति को भंग करने का अधिकार होगा ।

11.10 इन उपसमितियों में न्यासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी सदस्य बनाये जा सकेंगे । ऐसी उपसमिति का संयोजक कोई न्यासी होगा । उपसमितियों के कर्तव्य एवं अधिकारों का निर्धारण न्यासी मण्डल करेगा ।

11.11 न्यासी मण्डल को न्यास की आर्थिक दशा के अनुसार आवश्यक कर्मचारी आदि नियुक्त करने एवं उनके लिए सेवा नियम आदि बनाने का अधिकार होगा ।

11.12 कोई भी न्यासी न्यास से किसी प्रकार का वेतन, मानदेय आदि प्राप्त नहीं करेगा । परन्तु न्यास के कार्य हेतु किये गये प्रवास एवं अन्य विधिसम्मत व्यय वह प्राप्त कर सकेगा ।

11.13 न्यास के कार्यों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों एवं वादों में लगा हुआ व्यय न्यास द्वारा वहन किया जायगा ।

11.14 न्यास का कार्य करते हुए हुई आर्थिक अथवा अन्य संभावित हानि को न्यास द्वारा ही वहन किया जायगा और उसके लिए कोई न्यासी व्यक्तिशः उत्तरदायी नहीं होगा, जबतक कि वह हानि उसने जान बूझ कर न की हो ।

कोषाध्यक्ष

12. न्यास की कार्य समिति

12.1 न्यास के कार्य के संचालन हेतु एक कार्य समिति होगी, जिसके निम्नांकित घटक होंगे : 1. न्यास के अध्यक्ष, 2. न्यास के कोषाध्यक्ष, 3. न्यास के सचिव, 4 एवं 5. अन्य दो न्यासी । इनका निर्वाचन न्यासी मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत से किया जायगा ।

12.2 कार्य समिति के पदाधिकारी ही न्यासी मण्डल के पदाधिकारी होंगे ।

12.3 कार्य समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा ।

12.4 कार्य समिति का सचिव ही न्यास का प्रबन्ध-न्यासी होगा ।

12.5 प्रबन्ध-न्यासी न्यास का कार्यपालन अधिकारी होगा एवं न्यास की कार्य समिति के सामान्य निर्देशों पर न्यास की ओर से समस्त नित्य नैमित्तिक कार्य सम्पादन करने का अधिकारी होगा एवं वह न्यास का प्रतिनिधित्व करेगा ।

12.6 प्रबन्ध-न्यासी द्वारा किये गये समस्त कार्य न्यासी मण्डल द्वारा ही किये हुए माने जायेंगे ।

12.7 श्री बापू राव सरदेसाई इस न्यास के प्रथम प्रबन्ध-न्यासी एवं सचिव हैं । वह न्यास के विषय में सभी आवश्यक वैधानिक एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने की कार्यवाही करेंगे ।

... जी पर पद रिंग इस न्यास के प्रथम अध्यक्ष हैं ।

न्यास के समग्र आयव्यय का लेखाजोखा रखेंगे ।

13. कार्यवाही की वैधता

न्यासियों की संख्या में किसी कारण न्यूनता होने पर भी शेष न्यासी न्यास का समस्त कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे । उनके द्वारा कृत समस्त कार्यवाही एवं लिये गये निर्णय उसी प्रकार वैध एवं बन्धनकारी होंगे, जैसे वे पूर्ण संख्या होने पर होते हैं ।

14. बैठकें, सूचना एवं गणपूर्ति

14.1 न्यासी मण्डल की वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक होगी, जिसे वार्षिक अधिवेशन कहा जायगा । न्यासी मण्डल की गणपूरक संख्या पाँच होगी ।

14.2 गणपूर्ति के अभाव में स्थगित न्यासी मण्डल की बैठक आधे घंटे के बाद उसी स्थान पर बिना गणपूर्ति के की जा सकेगी, किन्तु उसमें केवल कार्यसूची में उल्लिखित विषय ही लिये जा सकेंगे ।

14.3 कार्य समिति की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठकें होंगी । कार्य समिति की गणपूरक संख्या तीन होगी, किन्तु प्रबन्ध-न्यासी की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

14.4 न्यासी मण्डल की बैठक की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व और कार्य समिति की एक दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

14.5 आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष अथवा सचिव / प्रबन्ध-न्यासी अल्प सूचना पर न्यासी मण्डल अथवा कार्य समिति की आपात बैठक आमंत्रित कर सकेंगे ।

घोषणा

इस न्यास-पत्र द्वारा हम तीनों संस्थापक न्यासी घोषित करते हैं कि इस " भाऊ राव देवरस सेवा न्यास " की सम्पत्ति आदि में हमें जो भी स्वत्वाधिकार प्राप्त हैं, वे सब इस न्यास-पत्र के पंजीयन दिनांक से न्यासी मण्डल में निहित हो गये हैं । अतः समस्त न्यासी मण्डल इस सम्पत्ति का प्रयोग, संवर्धन एवं विनियोजन न्यास के उपरिलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेंगे ।

गुर मुख सिंह	गिरधारी लाल अग्रवाल	विद्याधर ब. सरदेसाई
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव, प्रबन्ध-न्यासी

साक्षी

1. विनायक पां. डेण्डूये

2. ओम प्रकाश गुप्त